इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 28] भोपाल, शनिवार, दिनांक 25 जनवरी 2020—माघ 5, शक 1941

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 25 जनवरी 2020

क्र. 1489-22-इक्कीस-अ-(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 22 जनवरी 2020 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ९ सन् २०२०

मध्यप्रदेश माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २०१९.

[दिनांक २२ जनवरी, २०२० को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'' में दिनांक २५ जनवरी, २०२० को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९० को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २०१९ है.

(२) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा नियत करे.

धारा १५ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९० (क्रमांक १५ सन् १९९०) की धारा १५ में, उप-धारा (१) में,—

(एक) खण्ड (छह) और (सात) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किए जाएं, अर्थात्:—

"(छह) मध्यप्रदेश राज्य का एक संसद सदस्य, जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा;

(सात) मध्यप्रदेश राज्य से राज्यसभा का एक सदस्य, जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा;";

(दो) खण्ड (नौ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(नौ) मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा नामनिर्देशित विभिन्न तीन राज्यों के प्रत्येक का एक संचार प्रतिनधि;";

(तीन) खण्ड (तेरह) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(तेरह) ख्यातिप्राप्त जनसम्पर्क का विशेषज्ञ या विज्ञापन क्षेत्र का विशेषज्ञ, राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा;";

(चार) खण्ड (पंद्रह) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(पन्द्रह) महानिदेशक, भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली (इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन);";

(पांच) खण्ड (बीस), (इक्कीस) और (बाईस) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किए जाएं, अर्थात्:—

"(बीस) भारतीय भाषा (हिन्दी को छोड़कर) के दैनिक समाचार पत्र के संस्करणों को सम्मिलित कर रजिस्ट्रार न्यूज पेपर ऑफ इंडिया द्वारा प्रमाणित सर्वाधिक पांच प्रसार वाले समाचार पत्रों में से एक का वरिष्ठ पत्रकार;

(इक्कीस) भारत के हिन्दी दैनिक समाचार पत्र के संस्करणों को सम्मिलित कर रजिस्ट्रार न्यूज पेपर ऑफ इंडिया द्वारा प्रमाणित सर्वाधिक प्रसार वाले समाचार पत्र में से एक का वरिष्ठ पत्रकार;

(बाईस) अपर मुख्य सचिव अथवा उनके द्वारा नामनिर्देशित कोई प्रतिनिधि जो सचिव से निम्न श्रेणी का न हो;";

(छह) खण्ड (पच्चीस) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(पच्चीस) मनोरंजन संचार क्षेत्र का एक वरिष्ठ विशेषज्ञ जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा;";

(सात) खण्ड (सत्ताईस), (अट्ठाईस) और (उनतीस) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किए जाएं, अर्थात्:—

"(सत्ताईस) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित निम्नलिखित प्रत्येक क्षेत्र से ख्यातिप्राप्त एक विशेषज्ञ:—

(क) टेलीविजन समाचार चैनल से एक प्रतिष्ठित पत्रकार;

(ख) कम्प्यूटर या सूचना प्रौद्योगिकी का एक ख्यातिप्राप्त विशेषज्ञ;

(ग) सोशल मीडिया का एक प्रतिष्ठित विशेषज्ञ;

(घ) विकास संचार का एक प्रतिष्ठित विशेषज्ञ;

(अट्ठाईस) दो विभिन्न राज्यों में प्रत्येक से एक विख्यात हिन्दी मीडियाकर्मी जो मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा;

(उनतीस) मध्यप्रदेश के एक विश्वविद्यालय का कुलपति जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा;".

(तीस) मध्यप्रदेश विधान सभा का एक-सदस्य, जो विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्देशित किया जाएगा.

भोपाल, दिनांक 25 जनवरी 2020

क्र. 1489-22-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (३) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2019 (क्रमांक 9 सन् 2020) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT
NO. 9 OF 2020

THE MADHYA PRADESH MAKHANLAL CHATURVEDI RASHTRIYA PATRAKARITA AVAM SANCHAR VISHWAVIDYALAYA (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2019

[Received the assent of the Governor on the 22nd January, 2020; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 25th January, 2020.

An Act further to amend the Madhya Pradesh Makhanlal Chaturvedi Rashtriya Patrakarita Avam Sanchar Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1990.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Seventieth year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Makhanlal Chaturvedi Rashtriya Patrakarita Avam Sanchar Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 2019.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint.

Amendment of Section 15.

2. In Section 15 of the Madhya Pradesh Makhanlal Chaturvedi Rashtriya Patrakarita Avam Sanchar Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1990 (No. 15 of 1990), in sub-section (1),—

(i) for clauses (vi) and (vii), the following clauses shall be substituted, namely:—

"(vi) A Member of Parliament from Madhya Pradesh to be nominated by the State Government;

(vii) A Member of Rajya Sabha from Madhya Pradesh to be nominated by the State Government;";

(ii) for clause (ix), the following clause shall be substituted, namely:—

"(ix) One media representative each from three different States to be nominated by the Chief Minister of Madhya Pradesh;";

(iii) for clause (xiii), the following clause shall be substituted, namely:—

"(xiii) An eminent public relation expert or an expert from the field of advertisement to be nominated by the State Government;";

(iv) for clause (xv), the following clause shall be substituted, namely:—

"(xv) The Director General, Indian Institute of Mass Communication, New Delhi;";

(v) for clauses (xx), (xxi) and (xxii), the following clauses shall be substituted, namely:—

"(xx) A senior journalist among five largest circulated daily Newspaper of Indian Language (other than Hindi Language) the circulation of which (including all combined editions) is certified by Registrar, Newspapers for India;

(xxi) A senior journalist of the largest circulated Daily Hindi Newspaper of India the circulation of which (including all combined editions) is certified by Registrar, Newpapers for India;

(xxii) The Additional Chief Secretary Finance or any officer nominated by him not below the rank of a Secretary;";

(vi) for clause (xxv), the following clause shall be substituted, namely:—

"(xxv) One senior expert from the field of entertainment communication to be nominated by the State Government;";

(vii) for clauses (xxvii), (xxviii) and (xxix), the following clauses shall be substituted, namely:—

"(xxvii) One eminent expert each from the following fields nominated by the State Government :—

(a) Journalist of Television News Channel;

(b) eminent expert of Computer or Information Technology;

(c) distinguished expert of Social Media;

(d) distinguished expert of Development Communication;

(xxviii) One eminent Hindi Media Professional from two different States to be nominated by the Chief Minister of Madhya Pradesh;

(xxix) A Vice-Chancellor of a University of Madhya Pradesh to be nominated by the Chancellor;

(xxx) One Member of Madhya Pradesh Legislative Assembly to be nominated by the Speaker of Legislative Assembly.".

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2020.